न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम : **दीपेन्द्र सिंह राठौड़ (R.A.S)**

प्रकरण संख्या 15/2013 (राजस्व अपील) **दायर दिनांक 21.05.2013**

1. श्री भैरूसिंह पिता मोतीसिंह राजपुत,
   निवासी दीपपुरा, तहसील रावतभाटा
2. श्री जोरावर सिंह पिता मोतीसिंह राजपुत,
   निवासी दीपपुरा,तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

..... अपीलांटगण

बनाम

श्रीमती पार्वती बाई पत्नी श्री बलराम मीणा,
निवासी मालपुरा, तहसील रावतभाटा,जिला चित्तौड़गढ

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश तहसीलदार रावतभाटा बमिसल नं. 02/2012 निर्णय दिनांक 23.02.2013

उपस्थिति :– वकील अपीलांट :– श्री छोगालाल जाट
वकील रेस्पोडेन्ट :– श्री जितेन्द्र ओझा

निर्णय **दिनांक 21.02.2019**

उपरोक्त अनवान प्रकरण पर संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम मालपुरा के आराजी नम्बर 77 रकबा 0.65 एवं आराजी नम्बर 78 रकबा 0.65 हैक्टर रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, जिस पर अपीलान्ट/विपक्षी ताकत के बल पर अनुसूचित जन जाति की महिला की भूमि पर पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, जिससे अपीलान्ट विपक्षीगण को बेदखल कर रेस्पोडेन्ट प्रार्थीया के खाते की जमीन का कब्जा दिलाया जावे। उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलान्टगण विपक्षीगण की तरफ से जवाब प्रस्तुत किया गया व बहस की गयी कि क्रेता खातेदार का विवादित जमीन पर कभी

कब्जा नही रहा है केवल मात्र नुमाईशी रूप से कागजों में विक्रय किया गया है, जो मान्य नही होकर शून्य है। इनका यह भी कथन रहा है कि खातेदार रेस्पोडेन्ट प्रार्थी ने श्रीमती कालीबाई पत्नी केला भील व पेमा पिता किशना भील, निवासी मालपुरा जो विक्रेता खातेदार थे, उनका भी इस भमि पर कब्जा नही रहा, पटवारी रिपोर्ट दिनांक 26.06.2012 से भी प्रमाणित है प्रकरण अवधि बाधित समय सीमा के बाहर होने से चलने योग्य नही है। इनका जवाब में यह कथन भी रहा कि विवादित भूमि आराजी नम्बर 37 होकर रकबा 13 बिघा 9 बिस्वा थी। नये सेटलमेन्ट के बाद नवीन आराजी नम्बर 77, 78 पडे। संवत् 2032 से पूर्व विवादित आराजीयात आराजी नम्बर 37 रकबा 13 बिघा 9 बिस्वा नारायण पिता देवा, नाथु पिता लखा, निवासी मालपुरा के खातेदारी से राजस्व रेकार्ड मे दर्ज थी जो जमाबंदी संवत 2032 से 35 से प्रमाणित है। सन् 1971 के आस पास अपीलान्टगण के दादा माधुसिंह पिता गुलाबसिंह ने नारायण पिता देवा व नाथु पिता लखा भील खातेदारान से जरिये पंजीकृत बहनामा साबिक आराजी नम्बर 37 खरीद की थी, जिससे न्यायालय द्वारा मिसल संख्या 7/1976 दिनांक 15.4.77 के द्वारा धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रजिस्ट्री को जप्त कर विवादित जमीन कब्जे सरकार लेकर बिलानाम घोषित कर दी गयी थी। सन् 1977 में नाथू पिता लखा मीणा के खाते की उक्त जमीनों को सीलिंग में अवाप्त किया जाकर सन 1979 में मिसल नम्बर 70/78 दिनांक 13.09.1979 में तत्कालीन सहायक जिलाधीश रावतभाटा द्वारा आराजी नम्बर 37/2 रकबा 3 बिघा भूमि पेमा पिता किशना भील व आराजी नम्बर 37/3 रकबा 3 बिघा भूमि श्रीमती लालीबाई पत्नी केला भील को मिसल संख्या 71/78 दिनांक 17.09.1979 को आवंटित कर दी व आराजी नम्बर 37/1 रकबा 7 बिघा 9 बिस्वा मिसल नम्बर 964/78 दिनांक 17.09.1979 के द्वारा अपीलान्टगण के पूर्वज माधुसिह पिता गुलाबसिंह राजपुत को आंवटित की गयी थी जो नामान्तरकरण संख्या 34 दिनांक 04.05.1980 से माधुसिह के नाम पर दर्ज हुयी व पेमा पिता किशना भील व श्रीमती लालीबाई पत्नी केला भील क्रमशः तीन–तीन बीघा वर्ष 1979 में आवंटित की गयी थी इस पर उन्होने कभी खेती नही की न ही उनका कभी कब्जा रहा । उक्त दोनो आवंटित जमीनों पर अपीलान्टगण के पूर्वज आवंटन पहले काबिज रहे और उनको

मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान अपीलान्ट विपक्षीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है जिनको 35–40 वर्ष हो चुके है ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मयाद बाहर होकर मयाद के बिन्दू पर निरस्त किया जाने योग्य था, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कजा दिलाये जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजीयात रेस्पोडेन्ट को आवंटन की गयी व आवंटन के पूर्व से ही अपीलान्टगण विपक्षीगण का विवादित आराजीयात पर अन्य आराजीयात के साथ कब्जा चला आ रहा है,जिससे यह तथ्य निर्विवाद है कि आवंटन दिनांक से आराजी नम्बर 77, 78 पर रेस्पोडेन्ट प्रार्थीया विवादित आराजीयात के सबंध में कब्जेयाबी की डिक्रि प्राप्त करने की अधिकारी नही थी व रेस्पोडेन्ट प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्पष्टया मयाद बाहर था फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया, जो अपने आप में अवैधानिक हाकर निरस्त किये जाने योग्य हे। विवादित आराजीयात के संबंध में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 20.06.2012 को मौका रिपोर्ट तैयार की गयी, उक्त मौका रिपोर्ट में भी उक्त आराजीयात पर अपीलान्टगण व अपीलान्टगण के पूर्व आपीलान्टगण के पूर्वजों का कब्जा होना अंकित किया है ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट ने काली एवं पेमा भील से खरीद की जबकि काली एवं पेमा भील का विवादित आराजीयात पर कभी कब्जा नही रहा है। अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट प्रार्थीया ने ऐसा कोई दस्तावेज या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत कर अपने अपने प्रार्थनापत्र को किसी भी परिपेक्ष्य में प्रमाणित नही करवाया, फिर भी अधिनस्थ न्यायायल ने रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रमाणित होना मानते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निर्णय व आदेश परित कर दिया। अतः प्रार्थना है कि अपील बहक अपीलान्ट स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायायल द्वारा पारित विवादित निर्णय व आदेश दिनांक 23.02.2013 निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण की सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

उभयपक्ष बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट का कथन है कि तहसीलदार न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 183 बी का प्रार्थना पत्र पेश हुआ है। ग्राम मालपुरा की आराजी नम्बर 77 व 78 मुझ अनुसुचित जाति की महिला की है। इस पर राजपूत जाति के व्यक्तियों ने कब्जा कर दिया है। दिनांक 23.02.2013 को तहसीलदार रावतभाटा ने दूसरे पक्ष में निर्णय कर दिया जिसकी यह अपील है। हमने तहसीलदार कोर्ट में प्रकरण पेश किया था कि साबिक नम्बर 37 से यह 77 व 78 बने है। यह आराजी अपीलान्ट के दादास माधुसिंह ने नारायण व नाथू से पंजीकृत बहनामें से खरीदी थी। सन् 1971 में प्रार्थीयां ने भी यह आराजी क्रय की है किन्तु यह आराजी तो पूर्व में हमे बेंची जा चुकी थी। इनका कभी कब्जा नही रहा है। दिनांक 15.04.1977 को धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की कार्यवाही से यह आराजी बिलानाम घोषित हो गयी, फिर लालीबाई व किशना को आवंटित हो गयी जिससे पार्वती ने खरीदी जबकि हम वर्ष 1971 से काबिज चले आ रहे है इस पर ना ही पार्वती का या पार्वती के विक्रेता का कभी कब्जा रहा है। मियाद के बिन्दुओं पर तहसीलदार न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र खारिज योग्य था किन्तु निर्णय पारित कर दिया गया जिसकी यह अपील की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कानूनी भूल की है इस निर्णय को निरस्त करें। वकील रेस्पोडेन्ट का कथन है कि इसकी अपील भी मियाद बाहर है निर्णय दिनांक 23.02.2013 का है जिसकी अपील दिनांक 20.05.2013 को पेश की है। तीन माह बाद पेश की है। जिसमें विलम्ब का कारण भी नही दर्शाया गया है। अतः यह अपील मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। बिना राजस्व रेकार्ड के पेश की है कोई टाईटल नही है। दस्तावेज नही है। 1979 में लालीबाई व पेमा को आवंटित हुई थी। आवंटन कब्जा रहित भूमि का पूर्ण जांच पश्चात् ही होता है। पेमा व लाली को 10 वर्ष तक लगातार खेती करने पर खातेदारी अधिकार मिले है। अतः इनका कब्जा रहा है तो फिर अपीलान्ट का कब्जा कैसे हो सकता है। वर्ष 2012 में

हमने इनसे क्रय कर ली। इन्होने कब्जा किया है तो हमने 183 बी की कार्यवाही कर दी। पटवारी के यह कहने से कि 30 वर्ष पूर्व इस भूमि पर माधुसिंह का कब्जा था। यह पटवारी नही कह सकता। केवल इस आधार पर ही इनका कब्जा होना नही माना जा सकता है। आरजी नम्बर 37 में से आधी माधुसिंह को आवंटित हुई आधी लाली व पेंमा को ये इनका आवंटन सही मान रहे हे। हमारा गलत ऐसा क्यों? हमारा आवंटन भी सही है। हम अनुसचित जनजाति के है हमारी खातेदारी है इन्होने कब्जा किया था। अब भी बैठे है। तहसीलदार का निर्णय सही था, इनकी अपील खारिज कर अपीलान्टगण को बेदखल करने का आदेश प्रसारित करें। वर्ष 2012 को मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी द्वारा बनाई गई इस पर सरपंच व कोई मौतबिरान व्यक्तियों के हस्ताक्षर नही है व अपने प्रभाव से बनायी रिपोर्ट है जो राजस्व अभिलेखों के विरूद्ध है। इनकी अपील खारिज करें।

पुनः वकील अपीलान्ट का कथन है कि मियाद बाहर है पैरा 7 मे उल्लेखित है कारण भी बताया गया है व धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है शपथ पत्र सहित। पटवारी का पर्चा मौका 26.06.2012 का है वह आपके आवेदन पर बनाया गया है। इनका प्रार्थना पत्र धारा 183 बी पेश करने पर ही यह पर्चा बनाया गया है। जिसमें आवंटी का कब्जा कभी नही रहा है न ही बताया है तो फिर इनसे क्रय करने पर इनका कब्जा कैसे मिला। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावें।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के बहस पर मनन किया अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर सलंग्न जमाबंदी सम्वत् 2032–35 में विवादित आराजीयात नारायण पिता देवा, नाथु पिता लक्खा मीणा के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि के संबंध में सिलिंग में अधिग्रहित करना तथा सिलिंग की कार्यवाही पश्चात् पेमा पिता किशना भील एवं श्रीमती लाली पत्नी केला भील को आंवटन की गई तत्पश्चात् भूमि का विक्रय नारायण पिता देवा, नाथु पिता लक्खा मीणा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से किया गया। तत्पश्चात् श्रीमती पार्वती पत्नी बलराम मीणा निवसी मालपुरा को विक्रय किया गया। परन्तु इस संबंध में उभयपक्ष

द्वारा एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर किसी प्रकार का अभिलेख प्रस्तुत नहो किया न ही अधिनस्थ न्यायालय की पत्रालवी पर संलग्न है। चुंकि विवादित मामला वर्ष 1977 से पूर्व का है तथा धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् भी कार्यवाही हुई है। प्रश्नगत आराजी मूलतः सिलिंग प्रकरण से अधिग्रहित होकर आवंटन हुई तत्पश्चात विक्रय हुई है। ऐसी प्रक्रिया में किसी भी पक्षकार द्वारा विक्रय पत्र या राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नही किये है। प्रकरण पर सिलिंग कार्यवाही से लेकर भूमि के आवंटन एवं आवंटन के पश्चात भूमि का विक्रय एवं कब्जे संबंधित पूर्ण जांच किये जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों का कोई उल्लेख नही किया तथा न ही अपने निर्णय में कोई तथ्य सम्मिलित किये है।

अतः प्रकरण को तहसीलदार रावतभाटा को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण पर उभयपक्ष को अपना पूर्ण पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करते हुए मौके का भौतिक सत्यापन कर उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नये सिरे से विधिवत निर्णय पारित किया जावें। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की सही प्रति के भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया।

(दीपेन्द्र सिंह राठौड)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन),चित्तौड़गढ